बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 173889 पटना, दिनांक 10-01-2014

ग्रा0वि07(आं)-26/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- **महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-29 में संशोधन के संबंध में ।**

महाशय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा-29 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की अनुसूची-1 एवं 2 में 20 दिसम्बर 2013 से व्यापक संशोधन किए गए हैं । इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना की प्रति आपके संदर्भ एवं अनुपालन के लिए संलग्न हैं ।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना में वर्णित संशोधनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । सभी अधीनस्थ कार्यान्वयन एजेंसी एवं कार्यक्रम पदाधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण के माध्यम से इन संशोधनों से अवगत कराया जाय ।

3. इस अधिसूचना में उद्धृत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

(i) अनुसूची-1 की कंडिका-3 में योजना के उद्देश्यों में व्यापक परिवर्तन किया गया है जिसमें उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन पर विशिष्ट जोर है । साथ ही गरीबों के आजीविका साधन को बढ़ाने तथा सामाजिक समावेश सुनिश्चित करने एवं पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण पर जोर है ।

(ii) कंडिका-4 में निम्न नए काम विशेष तौर पर जोड़े गए हैं :-

(क) सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य यथा सिंचाई नहरों, जल निकासी कार्यों का सृजन, संधारण एवं रखरखाव ।

(ख) बागबानी, सेरीकल्चर, वृक्षारोपण एवं कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करने के कार्य ।

(ग) इंदिरा आवास योजना के घरों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला अकुशल मजदूरी घटक (इस संबंध में अलग से विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे) ।

(घ) मुर्गी पालन शेड, बकरी पालन शेड, सुअर पालन शेड, पशुपालन शेड एवं जानवरों के लिए नाद ।

(ङ) आजीविका मिशन के पात्र स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की आजीविका बढ़ाने के लिए, आम उपयोग के लिए कृषि उत्पादकता बढाने के लिये आधारभूत संरचना ।

(च) वैयक्तिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, ऑगनबाड़ी शौचालयों का निर्माण ।

(छ) सम्पर्क विहीन बसाबटों को सम्पर्क प्रदान करने के लिए सर्व मौसमी पथ निर्माण । साथ ही बसाबटों के अंदर पक्के सड़क, गली, नाली एवं कल्वर्टों का निर्माण ।

(ज) बाढ से क्षतिग्रस्त आवश्यक सार्वजनिक आधारभूत संरचनायें यथा रोड बान्ध, ड्रेनेज चैनल आदि का पुनर्स्थापन/सूदृद्धीकरण ।

(झ) खेल के मैदानों का निर्माण ।

(ञ) ग्राम पंचायत के भवनों का निर्माण ।

(ट) स्वयं सहायता समूह फेडरेशन के भवनों का निर्माण ।

(ठ) ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण ।

(ड) ग्रामीण हाट ।

(ढ) शमशान घाट / कब्रिस्तान का निर्माण ।

(ण) खाद्यान्न भंडारण गोदाम का निर्माण ।

(त) निर्माण कार्यों के लिए निर्माण सामग्री बनाना ।

(थ) अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सार्वजनिक परिसम्पत्ति का रखरखाव ।

4. ऐसे कार्य जो मापन योग्य नहीं हो यथा घास हटाना, पत्थर चुनना, कृषि कार्य आदि मनरेगा के अंतर्गत अनुमान्य नहीं होंगे ।

5. कंडिका-5 में निजी परिसम्पत्ति के लिए परिवारों के चयन की प्राथमिकता क्रम का उद्धरण है । तदनुसार प्राथमिकता सूची का निर्माण कर कार्यान्वयन कराया जाय ।

6. कंडिका-6 में अंतर्विभागीय समाहरण का प्रावधान किया गया है ।

7. कंडिका-7 अत्यंत ही प्रासंगिक है जिसमें प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा कार्यान्वित होने वाले कामों को ग्रामसभा द्वारा चुना जाएगा तथा वे कार्य जो पंचायत समिति या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित होने हैं, वे क्रमश: पंचायत समिति या जिला परिषद द्वारा शामिल किए जाएंगे ।

8. कार्य के प्राक्कलन में अभियंता का प्रतिवेदन अनिवार्य होगा, जिसमें इस काम से होने वाले लाभ का स्पष्ट उल्लेख होगा ।

कृपया इसे सुनिश्चित किया जाय ।

अनुलग्नक: यथोक्त ।

विश्वासभाजन

8.1.14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव